पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील सं.927/2017

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 19107/2015

==

मनोज कुमार, श्री विश्वनाथ राम के पुत्र, गोला रोड, दानापुर के निवासी, डाकघर-कैंट और थाना-दानापुर, शहर और जिला-पटना-801503

.... अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ।
2. सचिव, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
3. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।
4. अध्यक्ष के माध्यम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वीं मंजिल, चंद्रलोक भवन, जन पथ, नई दिल्ली-110001।
5. सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
7. कुलसचिव, बिहार के माध्यम से मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार।
8. निदेशक, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, बेली रोड, पटना, बिहार।
9. भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए. आई. यू. हाउस, 16, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-110002 अपने कार्यकारी निदेशक/सचिव के माध्यम से।

.... प्रतिवादीगण

==

पटना उच्च न्यायालय का लेटर्स पेटेंट-खंड 10-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956-धारा 26 विद्वान रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देती है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए. आई. यू.) है जिसे स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा की समानता घोषित करने का अधिकार है और चूंकि याचिकाकर्ता की पी. जी. डिप्लोमा योग्यता ए. आई. यू. द्वारा पी. जी. डिग्री के समकक्ष घोषित नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता व्याख्याता के लिए हकदार नहीं है, भले ही उसने यू. जी. सी.-एन. ई. टी. परीक्षा उत्तीर्ण की हो। लेक्चररशिप के लिए-याचिका है कि एक बार जब ए.आई.सी.टी.ई ने याचिकाकर्ता के डिप्लोमा प्रमाणपत्र के लिए समकक्षता प्रदान कर

दी है और इसे व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री के बराबर माना जाता है, तो ए. आई. यू. जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निजी निकाय है, समकक्षता के मामले में कोई बात नहीं कर सकता है।

आयोजित किया गयाःचूंकि याचिकाकर्ता ने इस शर्त को चुनौती नहीं दी कि पी. जी. डिप्लोमा प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को ए. आई. यू. से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अपने डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र की समानता का पता लगाना चाहिए, इसलिए उसे पात्रता की ऐसी शर्तों को निर्धारित करने के पीछे के कारणों और तर्क को बताते हुए भेदभाव की कोई याचिका लेने या उक्त खंड को चुनौती देने से रोक दिया जाएगा-अपनी नीति के अनुसार, शैक्षणिक उद्देश्यों या रोजगार उद्देश्यों के लिए ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदित संस्थानों से प्राप्त किसी भी योग्यता/पाठ्यक्रम के लिए समानता नहीं देता है-अपील खारिज कर दी जाती है।(पैरा 2,7,18-21)

(2015) 411 केएलडब्ल्यू 749। आश्वस्त हुए।

पर।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील सं.927/2017

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 19107/2015

===

मनोज कुमार, श्री विश्वनाथ राम के पुत्र, गोला रोड, दानापुर के निवासी, डाकघर-कैंट और थाना-दानापुर, शहर और जिला-पटना-801503

.... अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ।
2. सचिव, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
3. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।
4. अध्यक्ष के माध्यम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7 वीं मंजिल, चंद्रलोक भवन, जन पथ, नई दिल्ली-110001।
5. सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, नया सचिवालय, पटना।
7. कुलसचिव, बिहार के माध्यम से मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार।
8. निदेशक, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, बेली रोड, पटना, बिहार।
9. भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए. आई. यू. हाउस, 16, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-110002 अपने कार्यकारी निदेशक/सचिव के माध्यम से।

.... प्रतिवादीगण

===

उपस्थितिः-

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री अंधेंदु मौली, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं- भारत संघ के लिए	:	श्री एस. डी. संजय, अपर महान्यायाधिकर्ता
बिहार राज्य के लिए	:	श्री आशुतोष रंजन पांडे, एएजी 15.
ए. आई. सी. टी. ई के लिए	:	श्री कुमार बृज नंदन, अधिवक्ता।

यू. जी. सी के लिए	:	श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता।
मगध विश्वविद्यालय के लिए	:	श्री शिवेंद्र किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं.-9 (ए. आई. यू.)	:	श्री नवीन प्रसाद सिंह, अधिवक्ता।

===

कोरमःमाननीय मुख्य न्यायमूर्ति

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(प्रतिःमाननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद)

तारीखः21-03-2018

इस अंतर-अदालत अपील को दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 19107/2015 में विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पारित 20.04.2017 के निर्णय और आदेश को दरकिनार करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

2. विद्वत रिट न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ (जिसे इसके बाद "ए. आई. यू". के रूप में संदर्भित है जिसे स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा की समानता घोषित करने का अधिकार है और चूंकि ए. आई. यू. द्वारा पी. जी. डिप्लोमा योग्यता की समकक्षता के उद्देश्य से पी. जी. डिग्री की घोषणा की आवश्यकता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनाए गए वैधानिक विनियमन में शामिल होने के कारण वैधानिक है। याचिकाकर्ता के ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना से प्राप्त पी. जी. डिप्लोमा (पी.एम.आई.आर) योग्यता के अभाव में (संक्षेप में, "एल.एन.एम.आई") जिसके पास ए. आई. यू. से पी. जी. डिग्री के समकक्ष होने की घोषणा नहीं है, वह याचिकाकर्ता को व्याख्याता बनने का हकदार नहीं बना सकता है, भले ही उसने जून, 2013 में आयोजित व्याख्याता पद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (इसके बाद "यू. जी. सी.-एन. ई. टी".) उत्तीर्ण कर ली हो।

3. इस मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने निजी प्रबंधन और औद्योगिक संबंध (संक्षेप में, "पी.एम.आई.आर") में (एल.एन.एम.आई) से शैक्षणिक सत्र 1999-2001 में अपना दो साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूरा कर लिया है। एल.एन.एम.आई. को बिहार सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान कहा जाता है और यह स्थायी रूप से मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबद्ध है। याचिकाकर्ता का मामला है कि एल.एन.एम.आई. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से इसकी सहायता प्राप्त करता है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके विभिन्न पाठ्यक्रमों को मंजूरी/मान्यता प्रदान की है। यह भी विवाद में नहीं है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (संक्षेप में,"ए.आई.सी.टी.ई") ने एल.एन.एम.आई द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी है, जिसमें पी.एम.आई.आर. पाठ्यक्रम शामिल है। ए.आई.सी.टी.ई. ने सत्र 1999-2001 सहित विभिन्न सत्रों के लिए व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) के साथ पी.एम.आई.आर में उक्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा की समकक्षता भी प्रदान की है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल व्याख्यता या कनीय अनुसंधान अध्येतावृति और भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों दोनों में व्याख्याता के लिए पात्रता के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए 30.06.2013 को आयोजित होने वाले यू.जी.सी. नेट के लिए रिट आवेदन के अनुलग्नक-2 में निहित एक अधिसूचना जारी की।

5. विवाद की जड़ अधिसूचना (अनुलग्नक-2) के खंड 3 के तहत उप-खंडों में से एक है। जो अन्य बातों के साथ-साथ पात्रता की शर्तों में से एक निर्धारित करता है और यह निम्नानुसार हैः-

> “3(**vi**) भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रदान किया गया स्नातकोत्तर उपाधि पत्र/प्रमाण पत्र या विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रदान की गई विदेशी डिग्री/उपाधि पत्र/प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को अपने हित में, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए. आई. यू.), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों की मास्टर डिग्री के साथ अपने उपाधि पत्र/उपाधि/प्रमाण पत्र की समकक्षता का पता लगाना चाहिए। (**www.aiuweb.org**) "

6. याचिकाकर्ता ने यह राय बनाई है कि उसके द्वारा एल.एन.एम.आई से प्राप्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा एमबीए के साथ समतुल्यता मिली है, यह

धिसूचना के खंड 3 के उप-खंड (**vi**) के तहत पात्रता शर्तों को पूरा करता है, जो यू.जी.ई.नेट, 2013 में दिखाई दिया था और इसे सफल घोषित किया गया था।

7. उनके इस विचार के समर्थन में कि उनके द्वारा प्राप्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र को स्नातकोत्तर डिग्री के समतुल्य प्राप्त हुआ है, प्रो. रजनीश श्रीवास्तव, सलाहकार (अकादमिक) ए.आई.सी.टी.ई, न्यू दिल्ली के हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए दिनांक 02-01-2008 के एक पत्र पर निर्भरता रखी गई है, जो श्री सुधीर कुमार, आई. ए. एस., परीक्षा नियंत्रक और सचिव, राजस्व बोर्ड, बिहार को संबोधित उक्त पत्र के साथ संलग्न एक तालिका दिखाता है- क्रम संख्या 13 के तहत शैक्षणिक सत्रों 1991-2001 के व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में उपाधिपत्र को ए.आई.सी.टी.ई द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह एम.बी.ए. के बराबर है। यह याचिकाकर्ता के इस तर्क का शीट-एंकर है कि एक बार ए.आई.सी.टी.ई ने याचिकाकर्ता के डिप्लोमा प्रमाणपत्र को समकक्षता प्रदान कर दी है और इसे व्यवसाय प्रबंधन में मास्टर डिग्री के बराबर माना जाता है, तो ए.आई.यू. जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निजी निकाय है, यू.जी.सी.एन.ई.टी, 2013 के लिए अधिसूचना के खंड 3 के उप-खंड (**vi**) के तहत निर्धारित समकक्षता और शर्तों के मामले में भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्याख्याता के लिए उनकी उपयुक्तता और पात्रता के मामले में ओड़ नहीं आ सकती है।

8. विद्वान रिट न्यायालय के समक्ष, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए. आई. यू.) की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 9(ए.आई.यू.) द्वारा दाखिल जवाबी शपथपत्र के पैराग्राफ 9,10 और 13 वर्तमान अपील में प्रासंगिक होने के कारण यहाँ उद्धृत किए गए हैः-

> "9. कि ए.आई. यू. 1960 के अंत से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के समकक्षता प्रदान करने में शामिल रहा है। यह आगे कहा गया है कि मूल रूप से, इस तरह की समानता केवल आई. आई. एम. द्वारा प्रस्तावित पी. डी. जी. एम. कार्यक्रम को दी गई थी, लेकिन पी. जी. डी. एम. की पेशकश करने वाले ए. आई. सी. टी. ई. अनुमोदित संस्थानों के आगमन के साथ, यह सुविधा उनके लिए भी बढ़ा दी गई थी। "
>
> "10. यह उल्लेख करना और भी प्रासंगिक है कि केवल ऐसे पी.जी.डी.एम. कार्यक्रम को समानता प्रदान की जाएगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैः

ए। संस्थान ने ए. आई. यू. समकक्षता के लिए आवेदन किया है और ए. आई. यू. द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

बी। पी.जी.डी.एम. कार्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.), नई दिल्ली द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई है।

ग. कार्यक्रम के कम से कम दो बैच सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए होने चाहिएःऔर

डी। पीजीडीएम कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन. बी. ए.) द्वारा विधिवत मान्यता दी गई है। ”

“13. कि वर्तमान मामले में उत्तरदाता का कहना है कि एल. एन. मिथिला आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना प्रबंधन में यू. जी. और पी. जी. कार्यक्रमों की पेशकश करने वाला एक स्वतंत्र संस्थान है। संस्थान ने अपने द्वारा प्रस्तावित पी. जी. कार्यक्रमों के समतुल्यता के लिए कभी भी संघ को आवेदन नहीं किया है। ”

9. प्रतिवादी सं-2 और 3(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की ओर से एक विस्तृत जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 9 को तैयार संदर्भ के लिए यहां उद्धृत किया गया हैः-

“9. याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 15-20 में अपने स्वयं के बयानों पर बहुत अधिक भरोसा किया है कि एल. एन. मिश्रा संस्थान बिहार राज्य सरकार के स्वामित्व और संचालन में है और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उक्त संस्थान द्वारा संचालित व्यक्तिगत प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में दो वर्षीय पी. जी. डिप्लोमा को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए. आई. सी. टी. ई.) द्वारा मान्यता दी गई है। इस प्रकार इस कथन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता में मान्यता और समानता के बीच स्पष्टता का अभाव है। कई पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता दी गई है, जिसे यू. जी. सी. द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। हालाँकि, तथ्य यह है कि वे पी. जी. डिप्लोमा हैं और उन्हें इस तरह से चलाया जा सकता है। वे पी. जी. डिग्री के बराबर नहीं हैं। और जहाँ तक विश्वविद्यालय

> प्रणाली का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू. जी. सी. अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के तहत विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए उपयुक्त निकाय है। विश्वविद्यालयों के दायरे से बाहर संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए, संबंधित मास्टर डिग्री के साथ उनकी समकक्षता भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए. आई. यू.) द्वारा निर्धारित की जाती है। एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा उम्मीदवार के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, फिर भी विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत मास्टर डिग्री के बराबर नहीं हो सकता है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से वैश्विक व्यापार संचालन में प्रतिष्ठित स्नातकोत्तर डिप्लोमा अपने पूर्व छात्रों के लिए प्लेसमेंट की गारंटी देता है और अभी भी मास्टर डिग्री के साथ तुलना नहीं की जा सकती है जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से यू. जी. सी. द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण से स्पष्ट है। ”

10. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, विद्वान रिट कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य के बनाम आनंद जे. इल्लीकन और अन्य (2015) 411 के एल.डब्लू 749 में प्रतिवेदित मामले में माननीय केरल उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ को इसी तरह के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था और यू.जी.सी नेट परीक्षा, 2012 का खंड 3 (**vi**) विचार के लिए आया था। केरल उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों को संदर्भित किया, जैसे - **अशोक चाको थॉमस बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय [2009 (4) के. एल. टी. 607], एम. जी. विश्वविद्यालय और अन्य** बनाम **वी. प्रबंधक, सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज और अन्य। [2012 (4) के. एच. सी. 485] और अशोक कुमार मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य 2012 के एस 2854 के मामले में निर्णय** और अंत में निष्कर्ष निकाला कि-

> "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस मामले के साथ आई है कि वह उपाधि पत्र और डिग्री के संबंध में भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ की राय को स्वीकार करती है, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम स्नातकोत्तर डिप्लोमा की समकक्षता प्रदान करने के लिए ए. आई. सी. टी. ई. की पात्रता की जांच करें। ”

11. उक्त मामले में यह पाया गया कि विश्वविद्यालय आयोग ने कभी भी स्नातकोत्तर उपाधि पत्र को एम. बी. ए. डिग्री के समकक्ष नहीं माना था। माननीय केरल उच्च न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश की इस टिप्पणी से सहमत नहीं था कि चूंकि

याचिकाकर्ता को दिया गया स्नातकोत्तर डिप्लोमा ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त माना जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश का एक और अवलोकन कि जब कोई पाठ्यक्रम ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो विश्वविद्यालयों से तुल्यता का सवाल नहीं उठता है, जहां तक उस पाठ्यक्रम की तुल्यता के निर्धारण का संबंध है, केरल उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

12. विद्वत रिट न्यायालय ने मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा अपने रिट आवेदन में अनुरोध किए गए राहत देने से इनकार कर दिया।

13. विद्वत रिट न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश पर जोर देते हुए, अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने हमें रिट आवेदन के अनुलग्नक-1 में निहित पूरे विवरण के माध्यम से यह दिखाने के लिए लिया है कि एल.एन.एम.आई एक स्वायत्त संस्थान है और स्थायी रूप से मगध विश्वविद्यालय से संबद्ध है। विद्वान वकील ने एल.एन.एम.आई के प्रबंधन बोर्ड के गठन पर बहुत जोर दिया है. यह दर्शाता है कि बोर्ड को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अंतर-विश्वविद्यालय बोर्ड और मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, से प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने महाविद्यालय विवर्णिका के मान्यता भाग के प्रासंगिक पैरा 7,8 और 9 को भी हमारे सामने रखा है जो दर्शाता है कि कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में दो वर्षीय पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम को ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के द्वारा मान्यता दी गई है और पी.एम.आई.आर. में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मगध विश्वविद्यालय, बोधगया की पी. जी. डिग्री के समकक्ष मान्यता दी गई है।

14. विद्वान वकील का यह भी निवेदन है कि यू.जी.सी 2013 की अधिसूचना के खंड 3 (**vi**) में जहां तक स्नातकोत्तर डिप्लोमा/प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों के बारे में बात की गई है कि वे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों की मास्टर डिग्री के साथ अपने उपाधि पत्र/डिग्री/प्रमाण पत्र की समानता का पता लगाने के लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके अनुसार, एक बार याचिकाकर्ता के डिप्लोमा प्रमाण पत्र को मगध विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री के बराबर मिल जाने के बाद, ए. आई. यू. को मास्टर डिग्री के साथ याचिकाकर्ता के डिप्लोमा प्रमाणपत्र की समानता निर्धारित करने के लिए ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।

15. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि ए. आई. यू. का कोई कानूनी दर्जा नहीं है और ए. आई. यू. के बारे में एकमात्र अधिसूचना जो उन्हें मिल सकती है, वह दिनांकित 13.03.1995 की एक अधिसूचना है जिसके तहत ए. आई. यू. को विदेशी

योग्यताओं की मान्यता के बारे में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है जिसे पद पर नियोजन के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त माना जा सकता है और जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है।

16. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर महान्यायाधिकर्ता श्री एस डी संजय प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता मान्यता की अवधारणा की सराहना करने में असमर्थ है जो समानता की अवधारणा से अलग है। विद्वान वरिष्ठ वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को यू. जी. सी. नेट 2013 की अधिसूचना के खंड 3 (**vi**) के तहत निर्धारित शर्तों के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के कारण जोखिम उठाया और ए. आई. यू., नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों की मास्टर डिग्री के साथ अपने डिप्लोमा प्रमाणपत्र की समानता का पता लगाए बिना परीक्षा में भाग लिया।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अपने रिट आवेदन में उक्त खंड 3(**vi**) को चुनौती नहीं दी है और इस स्तर पर, उन्हें यू.जी.सी, नेट 2013 की अधिसूचना के खंड 3(**vi**) की वैधता या मान्यता के संबंध में किसी भी मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ वकील एक बार फिर दोहराते हैं कि लगभग इसी तरह के तथ्यों में केरल उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने इस मुद्दे का निर्णय किया है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने केरल उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा लिए गए विचारों से सहमत होने में कोई त्रुटि नहीं की है।

विचार

18. अपीलार्थी के विद्वान वकील के साथ-साथ प्रतिवादियों की ओर से अपर महान्यायाधिकर्ता को भी सुनकर और अभिलेखों के अवलोकन पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने शैक्षणिक सत्र 1999-2001 में एल.एन.एम.आई से डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जिसे ए.आई.सी.टी.ई द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे एम.बी.ए. के बराबर माना जाता है। जहां तक यू.जी.सी नेट का संबंध है, 2013 की अधिसूचना का संबंध है। अधिसूचना के खंड 3 का उपखंड (**vi**), जिस पर हमने ऊपर ध्यान दिया है, विशेष रूप से पात्रता की शर्तों में से एक प्रदान करता है और इसके तहत यह प्रावधान किया जाता है कि भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवारों को अपने हित में ए. आई. यू., नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों की मास्टर डिग्री के साथ उनके डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र की समकक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। ए. आई. यू. के वेबसाइट पते का उल्लेख उपरोक्त अधिसूचना के खंड 3 के उपखंड (**vi**) में भी किया गया है। याचिकाकर्ता ने खंड 3 के उपखंड (**vi**) को

किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी है। रिट आवेदन एक परमादेश रिट के लिए दायर किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को याचिकाकर्ता को सफल घोषित करने और यू.जी.सी नेट परीक्षा में याचिकाकर्ता को योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने और 09.09.2014 (अनुलग्नक-3) दिनांकित पत्र को दरकिनार करने का आदेश दिया गया था, जिसके द्वारा यू. जी. सी. ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि उसे 20.06.2013 को आयोजित यू.जी.सी नेट परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। " यह एक तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने 2013 की अधिसूचना के खंड 3 के उप-खंड (**vi**) को 2017 का इस चरण में चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना, उसे पात्रता की ऐसी शर्तों को निर्धारित करने के पीछे के कारणों और तर्क को बताते हुए भेदभाव की कोई भी याचिका लेने या उक्त खंड को चुनौती देने से रोका जाएगा। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही शर्तों को जानते हुए परीक्षा में भाग ले चुका है, लेकिन ए. आई. यू. से अपने डिप्लोमा प्रमाणपत्र की समानता का पता लगाए बिना।

19. यहाँ हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जवाबी हलफनामे में उनके रुख के साथ-साथ ए. आई. यू. के रुख पर भी ध्यान दिया है।

20. ए.आई.सी.टी.ई ने इस मामले में एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया है ताकि पूरे मुद्दे पर विराम लगाया जा सके और ए.आई.सी.टी.ई के जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 9 में लिया गया रुख इस अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करेगा कि ए.आई.सी.टी.ई, अपनी नीति के अनुसार, शैक्षिक उद्देश्यों या रोजगार उद्देश्यों के लिए ए.आई.सी.टी.ई अनुमोदित संस्थानों से प्राप्त किसी भी योग्यता/पाठ्यक्रम के लिए समकक्षता नहीं देता है। हम जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 9 पर ध्यान देते हैं जो इस प्रकार हैः-

> "9. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अपनी नीति के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों या रोजगार उद्देश्यों के लिए ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित संस्थानों के माध्यम से प्राप्त किसी भी योग्यता/पाठ्यक्रम को समकक्षता नहीं देती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह संबंधित संस्थानों पर है कि वे उच्च शिक्षा उद्देश्यों के लिए ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदित संस्थान के माध्यम से प्राप्त योग्यता/पाठ्यक्रम पर विचार करें या संबंधित संगठन इसे रोजगार उद्देश्यों के लिए विचार कर सकते हैं। "

21. हमारी सुविचारित राय में, विद्वान रिट न्यायालय केरल उच्च न्यायालय की माननीय खंड पीठ के फैसले से सहमत होकर एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है, जिसमें

स्नातकोत्तर डिग्री के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा की समकक्षता घोषित करने के अपने अधिकार के मामले में ए. आई. यू. की स्थिति और भूमिका पर विस्तार से विचार किया गया है।

22. हम विद्वत रिट न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

23. अपील ने कोई खासियत नहीं है। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायमूर्ति)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

दिलीप, एआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।